न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2021 (2021/23)

1. धनराज पुत्र सुसपाल जाति धाकड निवासी काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

1. गीता देवी पत्नि शंकरलाल
2. कैलाश पुत्र मोती धाकड
3. गंगा पत्नि धन्ना धाकड
4. मनभर देवी पत्नि जगदीश धाकड
5. सत्यनारायण पुत्र धन्ना धाकड
6. किशनलाल पुत्र लादू धाकड
7. भंवरलाल पुत्र लादू धाकड

   समस्त निवासीगण काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

——अप्रार्थीगण

उपस्थित:—

श्री कालूराम गुर्जर — वकील प्रार्थीगण

श्री अब्दुल सलीम गोरी — वकील अप्रार्थीगण

पैरोकार सरकार (जरीये तहसीलदार केकड़ी) — अप्रार्थी

श्री पांचू वगै — प्रार्थीगण प्रकरण संख्या 2022/84 उनवान पांचू वगै बनाम किशनलाल वगै

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक:— 16/06/2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
33—27	537	3.52	बारानी 1
	किता 1	**रकबा 3.52 हैक्टर**	

प्रार्थी द्वारा प्ररूतुत प्रार्थनापत्र अनुसार उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 537 प्रार्थी की है जिसमें आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 532 की उत्तरी मेड से प्रारम्भ होकर अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 533, 534 की उत्तरी मेड से 599/536 की पश्चिमी मेड से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 537 तक पंहुचता है। उक्त रास्ता कदीमी है तथा इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने में रूकावट पैदा की जा रही है तथ बार—बार कहे जाने पर भी सहमति नही बन रही है तथा आने जाने के रास्ते में लोहे की जाली लगाकर, कांटे आदि पटक कर वर्तमान में रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रूकावट जारी है। आवश्यकता आत्यन्तिक है। अतः विद्यमान मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के रूप में अभिलेखित किया जाये तथा इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 2,3,5,7 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जिसके अनुसार प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 537 में पंहूचने हेतु खसरा नम्बर 532, 533, 534 से होते हुए 599/536 तक रास्ता बताया है जो कि एक सोची समझी साजिस है। प्रार्थी रास्ते की आड में भंवरलाल, किशनलाल, सत्यनारायण, मनभर, गंगा, कैलाश की आराजी को डी.एल.सी रेट पर कब्जाना चाहता है, जबकि खसरा नम्बर 537 पर पंहूचने के लिए प्रार्थी के पास

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

बेहतर विकल्प है। कैलाश ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 534 में से 2/3 हिस्सा महावीर, रामराज, पिसरान कैलाश को दान कर दी है जो शुद्धिकरण हेतु विचाराधीन है। खसरा नम्बर 525 गै.मु.रास्ता से खसरा नम्बर 530, 531, 535 की मेड से होते हुए प्रार्थी की अराजी खसरा नम्बर 537 पर अबाध गति से पंहुच सकते है इसके अतिरिक्त बघेरा की सीमा के लगवा खसरा नम्बरान 611/527, 538 से होते हुए आराम से पंहुचा जा सकता है। प्रार्थी इतने सुगम रास्ता होने के बावजूद अप्रार्थीगण की आराजी को प्रभावित करना चाहता है तथा इससे बेहतर विकल्प होने पर भी अप्रार्थीगण की कीमती आराजी को नष्ट करना चाहता है। वर्तमान में प्रार्थी पूर्वी दिशा में स्थित बघेरा की सीमा से सुगमता से पैदल व अपने साधनों द्वारा आवागमन कर रहा है और पूर्व में भी वर्षो से इसी रास्ते से होकर अपनी आराजी में प्रवेश कर रहा है। अतः अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। अप्रार्थी सख्या 1 की ओर से पावर पेश किये जाने के पश्चात जवाब हेतु कई मर्तबा अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही करने से उनका जवाब बंद किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त की गई।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकडी द्वारा जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर पक्षकारान को सुना जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार को एवं दौराने मौका रिपोर्ट मौके पर उपस्थित होने हेतु पक्षकारान को जरिये अधिवक्ता निर्देशित किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार केकडी द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मोका रिपोर्ट/जवाब सरकार निम्नानुसार है–

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम काबरिया के खसरा नम्बर 762/537 प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।

प्रार्थीगण आपसी सहमति से खेत खाली होने की स्थिति में पडोसी खातेदारों के खेत से आवागमन करता है।

3. प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से स्वीकृत रास्ता खसरा नम्बर 525 किस्म गै.मु.रास्ता निकलता है। संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है।

4. वर्तमान में प्रार्थी ग्राम काबरिया से नारेडा की सीमा पर कदीमी रास्ते से खसरा नम्बर 599/536 की पश्चिमी एवं दक्षिणी मेड के सहारे एवं खसरा नम्बर 535 की पूर्वी मेड से होकर आवागमन नजदीक एवं सुविधाजनक है एवं प्रार्थी द्वारा भी उक्त रास्ता ही प्रस्तावित किया गया है।

5. प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत पर आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

6. उपरोक्तानुसार रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 525 किस्म गै.मु.रास्ता से खसरा नम्बर 531 व 530 व 535 की दक्षिणी मेड से आवागमन सुविधाजनक रहेगा। जिस हेतु खसरा नम्बर 530 व 531 के खातेदार को सुना जाना/संयोजित किया जाना उचित होगा।

7. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ग्राम काबरिया व नारेडा की सीमा पर कदीमी रास्ता मोजूद है, वहा से खसरा नम्बर 599/536 की पश्चिमी मेड से 112 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा कुल 672 वर्गमीटर तथा दक्षिणी दिशा में 12 मीटर लम्बा तथा 6 मीटर चौडा कुल 72 वर्गमीटर, तथा खसरा नम्बर 535 मे पूर्वी मेड से 120 मीटर लम्बर तथा 6 मीटर चौडा कुल 720 वर्ग मीटर इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते हेतु 672+72+720 = 1464 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 215177/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 62981/– रूपये बनते है।

इसके अतिरिक्त राजस्व नक्शे में रिकॉर्डेड रास्ता खसरा नम्बर 525 गै.मु.रास्ता से खसरा नम्बर 530, 531 की दक्षिणी, 535 की दक्षिणी मेर से होते हुए 762/537 में जाया जा सकता है। खसरा नम्बर 530 से 128 मीटर लम्बा, 6 मीटर चौडा कुल 768 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 531 मे से 88 मीटर लम्बा, 6 मीटर चौडा कुल 528 वर्ग मीटर, खसरा नम्बर 535 में से 120 मीटर लम्बा 6 मीटर चौडा कुल 720 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 2016 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 215177/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 86728/– रूपये बनते है।

9. उक्त पत्रावली के साथ पांचू वगै बनाम किशनलाल वगै प्रकरण संख्या 2022/84 का अवलोकन भी किया जाना उचित होगा।

10. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

उपखण्ड प्राधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट में किये गये निवेदन पर अन्य प्रकरण संख्या 2022/84 उनवान पांचू वगै बनाम किशनलाल वगै का अवलोकन किया गया जिसमें भी आराजी संख्या 532, 533, 534, 599/536 से खसरा नम्बर 535 के लिए रास्ता चाहा गया है। मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अवलोकन किया गया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 532, 533, 534 की उत्तरी मेड से खसरा नम्बर 599/536 तक कदीमी रास्ता मौजूद है जिसमें से आवागमन हेतु खातेदारन ने सहमति दी है। शेष रास्ता खसरा नम्बर 599/536 में से खसरा नम्बर 535 हेतु रास्ता दिया गया।

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। साथ ही प्रकरण संख्या 2022/84 उनवान पांचू वगै बनाम किशनलाल वगै में प्रार्थीगण पांचू वगै को सुना गया। दौराने बहस खसरा संख्या 535 के खातेदारान पांचू व अन्य ने तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट में प्रस्तावित अनुसार खसरा नम्बर 535 में से रास्ता दिये जाने हेतु सहमति दी है। जिस हेतु प्रार्थी धनराज भी सहमत है तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 535 में से रास्ता दिये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब सरकार, अन्य संबंधित प्रकरण संख्या 2022/84 उनवान पांचू वगै बनाम किशनलाल वगै के प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की आराजीयात खसरा नम्बर 535 में से रास्ता दिये जाने हेतु प्रस्तुत लिखित सहमति का अवलोकन किया एवं पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 532, 533, 534, 599/536 में से रास्ता चाह गया है। तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट एवं प्रकरण संख्या 2022/84 उनवान पांचू वगै बनाम किशनलाल वगै के अनुसार खसरा नम्बर 532, 533, 534 से होते हुए खसरा नम्बर 599/536 तक कदीमी रास्ता है जो चालू है इसमें से आवागमन हेतु खातेदारान द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नही की जा रही है। प्रकरण सं 2022/84 उनवान पांचू वगै बनाम किशनलाल वगै में खसरा नम्बर 599/536 से होते हुए खसरा नम्बर 535 तक रास्ता दिया गया है जो कि खसरा नम्बर 537 के लगवा है। अतः खसरा नम्बर 762/537 में पंहूच हेतु खसरा नम्बर 535 में से तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तावित अनुसार 120 मीटर लम्बा तथा 6 मीटर चोडा कुल 720 वर्गमीटर हेतु प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंकिश स्वीकार किया जाता है। रास्ते हेतु कुल क्षेत्रफल 720 वर्गमीटर हेतु वर्तमान डीएलसी दर 215177/- प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 30986/- (तीस हजार नौ सौ छियासी) रूपये बनते है। अतः उक्त राशि प्रार्थी द्वारा जमा कराने पर मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शे में केवल खसरा नम्बर 535 में लाल स्याही से प्रस्तावित अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर खसरा नम्बर 535 के खातेदारान को जर्ये सूचना पत्र जारी कर दिलवायी जावे। राशि नही लिये जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर आदेशानुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी अजमेर

Scanned with OKEN Scanner